

प्रेषक

जिला विद्यालय निरीक्षक,
जौनपुर।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड
जौनपुर।

पत्रांक/
विषय-


11609-13 /2020-21 दिनांक- 06-02-2021
कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त परिषदीय विद्यालय कक्षा
6 से 8 तक एवं कक्षा 1 से 5 पठन-पाठन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-56(1)/ 68-5-2021-21 दिनांक 05 फरवरी 2021 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मानक एवं शर्तों के अनुसार विद्यालयों के पुनः संचालन हेतु जारी एस0ओ0पी0 के क्रम में सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10.02.2021 से एवं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 01.03.2021 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 6-8 तक के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10.02.2021 से एवं कक्षा 1-5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 01.03.2021 से कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय जौनपुर की अध्यक्षता में एक अति आवश्यक बैठक दिनांक 08.02.2021 को सायं 05.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में आहूत की गयी है। जिसमें सभी प्रधानाचार्य प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


जिला विद्यालय निरीक्षक
जौनपुर।

पृ0सं0/

/2020-21

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जौनपुर।
2. शिक्षा निदेशक, (मा0) उ0प्र0 18 पार्क रोड लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक) निशातगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी।

जिला विद्यालय निरीक्षक
जौनपुर।